ग्राम पंचायत सदूं बडग्रां, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग–एक

1. **प्रस्तावना :–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सदूं बडग्रां, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत सदूं बडग्रां में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

1	श्रीमति अर्चना कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–.

1	श्री सीता राम	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत सदूं बडग्रां के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरिक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेषों में अन्तर पाया जाना ।	0.24

2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	19.91
3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.12
4	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.06
5	8	ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना अनियमित व्यय/भुगतान करना	8.18
6	9	दोहरी हाजिरी का लाभ अर्जित करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.02
7	10 व 11	निर्माण कार्य में अधिक भुगतान करना ।	0.20

भाग–दो

2. **वर्तमान अंकेक्षण :–**

ग्राम पंचायत सदूं बडग्रां, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 31.08.2024 से 06.09.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022–2023	03/2023	05/2022
2023–2024	07/2023	02/2024

<u>अस्वीकरण (Disclaimer)</u> :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **अंकेक्षण शुल्क :–**

ग्राम पंचायत सदूं बडग्रां, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/–

बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 356 दिनांक 06.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. **वित्तीय स्थिति :–**

ग्राम पंचायत सदूं बडग्रां, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत सदूं बडग्रां के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	414632.84	40138.00	16965.00	471735.84	87116.00	384619.84
2023–24	384619.84	60431.00	14224.00	459274.84	90083.00	369191.84

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत सदूं बडग्रां के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	**1061599.17**	**5265435.2**	**40168.00**	**6367202.37**	**4724858.2**	**1642344.17**
2023–24	**1642344.17**	**4713646.77**	**74977.00**	**6430967.94**	**4440254.77**	**1990713.17**

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14th FC,15th FC, MMGPY, SDP, RGSA

A/c No. 20012007924	**KCCB Nagrota Bagwan**	**366555.12**
A/c No. 50056473243	**KCCB Nagrota Bagwan**	**11683**
A/c No. 50056472783	**KCCB Nagrota Bagwan**	**82875**
A/c No.50065561979	**KCCB Nagrota Bagwan**	**506.44**
A/C No. 920010043089769	**Axis Bank Palampur**	**1536304**
A/C No. 7892318251	**Post Office Saddun Bargran**	**13572.35**
A/c No. 100167484825	**Indusind Bank**	**320850**
cash in hand		**3504**
	Total	**2335849.91**

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		**369191.84**
Cash Book Balance on 31.03.2024	PS	**-308**
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	**176638**
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	**-122967**
Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC	**3689.44**
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	**1524864**
Cash Book Balance on 31.03.2024	GRDY	**81745**
Cash Book Balance on 31.03.2024	MMGPY	**1430**
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP	**27747.73**
Cash Book Balance on 31.03.2024	RGSA	**297874**
	Total	**2359905.01**
	diffrence	**24055.1**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹ 0.24 लाख का अन्तर पाया जाना :–

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2024 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹24,055/– बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 357 दिनांक 06.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/एसएडी/08 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निदेशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 358 दिनांक 06.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/एसएडी/08 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्टवेयर में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. निवेशः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभुतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के कुशल प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है । दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की सभा निधि में ₹ 3,69,192/–की राशि शेष थी।

अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹19.91 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजेन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹ 19,90,713/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी। जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकासात्मक कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

शेष अनुदान की उक्त राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹0.12 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की

गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹ 50/– **परिशिष्ट–2** के अनुसार प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व सम्पत्ति कर ₹ 11,900/– वसूली हेतु शेष था :–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022–2023	10650	22200	32850	20600	12250
2023–2024	12250	21900	34150	22250	11900

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 359 दिनांक 06.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/एसएडी/08 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये गये हैं तथा बकाया राशि ₹11,900/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पंचायत राजस्व की इतनी अधिक राशि के परादेय होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.2 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹0.06 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार

राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ **6,000/–** की प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा नंही करवाया गया था :–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ।
1	2022–23	2800.00
2	2023–24	3200.00

विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 360 दिनांक 06.09.24 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/एसएडी/08 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

8. खनन सामग्री के आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फार्म X व W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹8.18 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे:–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा, परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायलय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फार्म एक्स या डब्ल्यू जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 3** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फार्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को चुनिंदा मासों के दौरान ₹8,18,221/— की राशि का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय—समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 361 दिनांक 06.09.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के पत्र संख्या जीपी/एसएडी/08 दिनांक 17.09.2024 द्वारा सूचित किया कि फार्म एक्स व डब्ल्यू प्राप्त नहीं किये गये हैं। अतः भविष्य में उक्त फार्म प्राप्त करके ही भुगतान किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्व एवं समय—समय पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को उनके पूर्ण विवरण युक्त समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

9. दोहरी हाजिरी का लाभ अर्जित करने के कारण ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना :—

निदेशक, हि० प्र० पंचायती राज विभाग के पत्र सख्या PCH(1)5/2009-II-Instruction-67441-532 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार यदि पंचायत सदस्य द्वारा एक ही दिनांक को

दो जगह हाजरी लगाने का प्रकरण सामने आता है तो ऐसे में पंचायत सदस्य के विरूद्व धन राशि की वसूली सहित निलम्बन तथा पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत पदाधिकारियों द्वारा ग्राम पचांयत बैठक व मनरेगा मस्ट्रोल में एक ही दिन निम्नविवरणानुसार दोहरी हाजरी का लाभ अर्जित किया गया था जोकि उक्त पत्र के दिशा निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है:–

क्र0सं0	पंचायत सदस्य का नाम	मस्ट्रोल सं0 व अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल व पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)
1	पूजा देवी	3099, 01.08.23 से 15.08.23	कच्चा रास्ता मेन रोड से जंदरूह	10.08.23	500	240
2	सूरेन्द्र कुमार	3650, 01.09.23 से 15.09.23	लिंक रोड व डंगा बांस के पेड से सरवण कुमार की गउशाला	13.09.23	500	240
3	पूजा देवी	4394, 01.11.23 से 15.11.23	पौधारोपण जनक सिंह	10.11.23	500	240
4	सूरेन्द्र कुमार	8169, 16.02.24 से 29.02.24	सुरक्षा दिवार बलदेव अत्री	28.02.24	500	240

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 362 दिनांक 06.09.24 द्वारा पंचायत सचिव से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/एसएडी/08 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अधिक किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

10. निर्माण कार्य सुरक्षा दिवार विशण दास, रविन्द्र कुमार, मदन लाल हेतु ₹0.04 लाख के अधिक भुगतान बारे।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निर्माण कार्य सुरक्षा दिवार विष्ण दास, रविन्द्र कुमार, मदन लाल हेतु निम्न विवरणानुसार सामग्री का क्रय किया गया था जबकि माप पुस्तिका

संख्या 33068 पृष्ठ 14–16 में निर्माण कार्य पर उपयोग हुये सीमेंट का निष्पादन निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कम किया दर्शाया गया था तथा बची हुई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में इस प्रकार की त्रुटि/पारदर्शिता के अभाव के चलते किसी भी स्तर पर धन व सामग्री के रिसन (leakage) दुर्विनियोजन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 363 दिनांक 06.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/एसएडी/08/2024 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों की नमूना जांच व सत्यापन सहित कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा ₹3573/– की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

सामग्री का नाम	कय की गई मात्रा	माप पुस्तिका अनुसार निर्माण कार्य पर उपयोग की गई मात्रा	अन्तर	दर	राशि
सीमेंट	171 बैग	162 बैग	9 बैग	397/–	3573/–

11. **निर्माण कार्य लिंक रोड व सुरक्षा दिवार देस राज की बावडी के सामने वासों से लेकर डग्गी तक के लिए ₹0.17 लाख के अधिक भुगतान बारे।**

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निर्माण कार्य लिंक रोड व सुरक्षा दिवार देस राज की बावडी के सामने वासों से लेकर डिग्गी तक के अंकेक्षण में पाया कि माप पुस्तिका संख्या 33068 पृष्ठ 3–6 में बोल्डर का निष्पादन 34.65 cum दर्शाया गया था व बोल्डर की कोलैक्शन लेबर द्वारा 22.65 cum की गई दर्शाई गई थी। इसके अतिरिक्त बिल संख्या 33 दिनांक 05.10.2022 के अनुसार उक्त कार्य के लिए बोल्डर का कय 34 cum किया गया था जोकि अनुचित है जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

सामग्री का नाम	क्रय की गई मात्रा	माप पुस्तिका अनुसार लेबर द्वारा बोल्डर की कोलैक्शन	कुल बोल्डर की मात्रा	माप पुस्तिका अनुसार निर्माण कार्य पर उपयोग की गई मात्रा	अन्तर	दर	राशि
बोल्डर	34	22.22	56.22	34.65	21.57	766	16522

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 364 दिनांक 06.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/एसएडी/08/2024 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों की नमूना जांच व सत्यापना सहित कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा ₹16,522/– की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

12. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पंस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे ।

हि0प्र0 पंचायती रात (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार कनिष्ठ अभियन्ता स्तर पर करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 364/2 दिनांक 06.09.2024 द्वारा अवगत करवाया जिसके सन्दर्भ में जीपी/एसएडी/08 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि निर्माण कार्य कनिष्ठ अभियन्ता स्तर का है इससे सम्बन्धित

अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये ।

	2023-24
1	नि0 सामुदायिका भवन RGSA

13. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रकिया के अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण होने एवं पारदर्शिता के अभाव के चलते किसी भी स्तर पर धन सामग्री के रिसन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	**रजिस्टर का प्रकार/विवरण**	**प्रारूप**	**सन्दर्भित नियम**
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

15. लघु आपत्ति विवरणिका :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

16. निष्कर्ष :–लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

29 NOV 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

5776 – 5780

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)439 / 2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत संदू बड़ग्रां, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

29 NOV 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Saddun Bargran" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	-308	0	0	-308	0	-308
2	5 SFC	254047	226320	0	480367	271029	209338
3	VKVNY	-34967	0	0	-34967	0	-34967
4	14TH FC	86729.44	0	2323	89052.44	84800	4252.44
5	15TH FC	796394	1381865	37845	2216104	840146	1375958
6	SDRF	-19255	75000	0	55745	32526	23219
7	MMGPY	1430	0	0	1430	0	1430
9	SDP	-22471.27	175000	0	152528.73	51874	100654.73
14	RGSA	0	400000		400000	437233	-37233
16	MNREGA	0	3007250.2	0	3007250.2	3007250.2	0
	Total Rs.	1061599.17	5265435.2	40168	6367202.37	4724858.2	1642344.17

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Saddun Bargran" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	-308	0	0	-308	0	-308
2	5 SFC	209338	236600	0	445938	269300	176638
3	VKVNY	-34967	0	0	-34967	88000	-122967
4	14TH FC	4252.44	0	15	4267.44	578	3689.44
5	15TH FC	1375958	599455	34818	2010231	485367	1524864
6	SDRF	23219	147411	0	170630	88885	81745
7	MMGPY	1430	0	0	1430	0	1430
9	SDP	100654.73	70750	0	171404.73	143657	27747.73
14	RGSA	-37233	892000	40144	894911	597037	297874
16	MNREGA	0	2767430.77	0	2767430.77	2767430.77	0
	Total Rs.	1642344.17	4713646.77	74977	6430967.94	4440254.77	1990713.17

Balance as per Bank on 31.03.2024

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, MMGPY, SDP, RGSA

A/c No. 20012007924	KCCB Nagrota Bagwan	366555.12
A/c No. 50056473243	KCCB Nagrota Bagwan	11683
A/c No. 50056472783	KCCB Nagrota Bagwan	82875
A/c No.50065561979	KCCB Nagrota Bagwan	506.44
A/C No. 920010043089769	Axis Bank Palampur	1536304
A/C No. 7892318251	Post Office Saddun Bargran	13572.35
A/c No. 100167484825	Indusind Bank	320850
cash in hand		3504
	Total	2335849.91

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		369191.84
Cash Book Balance on 31.03.2024	PS	-308
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	176638
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	-122967
Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC	3689.44
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	1524864
Cash Book Balance on 31.03.2024	GRDY	81745
Cash Book Balance on 31.03.2024	MMGPY	1430
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP	27747.73
Cash Book Balance on 31.03.2024	RGSA	297874
	Total	2359905.01
	diffrence	24055.1

PRADHAN SECY
GRAM PANCHAYAT SADOON BARGRAN
DEV BLOCK BAROH, DISTT. KANGRA (H.P.)

15

Financial Position of Own sources in r/o GP Saddun Bargran

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	414632.84	40138	16965	471735.84	87116	384619.84
2023-24	384619.84	60431	14224	459274.84	90083	369191.84

Fund transfer to newly created Panchayat 0

SABHA FUND **369191.84**

PRADHAN SECY
GRAM PANCHAYAT SADOON BARGRAN
DEV BLOCK BAROH, DISTT. KANGRA (H.P.)

परिशिष्ट-2
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 के सन्दर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP Saddun Bargran **Distt.Kangra,H.P.**

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	10650	22200	32850	20600	12250
2023-24	12250	21900	34150	22250	11900
	Rate 50/- per annum				

PRADHAN SECY
GRAM PANCHAYAT SADOON BARGRAN
DEV BLOCK BAROH, DISTT. KANGRA (H.P.)

परिशिष्ट-3

Sr. no.	Name Of Work	Head	Bill no.	Bill Date	Payment date	Sand (CFT)	Aggrigate (CFT)	Gatka	amount
	2022-23								
1	नि० वॉटर टैंक रमेश चन्द पुत्र तिहडु राम अक्राना	MGNREGA	7	04-04-2022	21-05-2022	150	298	0	19263
2	नि० सुरक्षा दीवार विनोद कुमार के घर के पास	MGNREGA	6	04-04-2022	21-05-2022	96	192	0	12383
3	नि० सुरक्षा दीवार विशन दास रविंदर कुमार मदन लाल का जमीन मे	MGNREGA	8	04-04-2022	21-05-2022	700	800	0	64496
4	नि० लिंक टिलू बरगद के पेड़ से लक्ष्मण दास की घराल की ओर	MGNREGA	17	04-04-2022	21-05-2022	600	700	0	55897
5	नि० लिंक रोड जंज घर से लाहड़ तक	MGNREGA	16	04-04-2022	21-05-2022	600	700	0	55897
6	नि० पुली व् लिंक रोड से प्यार चंद के घर की ओर	MGNREGA	21	04-04-2022	21-05-2022	200	400	0	25798
7	नि० लिंक सुरक्षा दीवार पुली पुनि चंद की घराल से रमेश की घर तक	MGNREGA	15	04-04-2022	21-05-2022	400	500	0	38698
8	नि० लिंक रोड पीपल के पेड़ से अकरणा तक	MGNREGA	14	04-04-2022	21-05-2022	500	700	0	51597
9	नि० लिंक बलदेव के घर से लेकर मालंच बस्ती की ओर	MGNREGA	13	04-04-2022	21-05-2022	500	700	0	51597
10	नि० लिंक रोड व् सुरक्षा दीवार देश राज की बाबड़ी के सामने बांसों से लेकर डिग्गी तक	MGNREGA	12	04-04-2022	21-05-2022	400	600	0	42997
11	नि० संपर्क मार्ग सड़क से मौक्षधाम तक	MGNREGA	10	04-04-2022	21-05-2022	300	400	0	30098
12	नि० वॉटर टैंक रम्मी राणा पत्नी अनूप राणा ठम्बा	MGNREGA	11	04-04-2022	21-05-2022	150	298	0	19263
13	नि० वॉटर टैंक रोशन लाल पुत्र मतलवी राम चद्रुह	MGNREGA	9	04-04-2022	21-05-2022	150	298	0	19263
14	नि० वॉटर टैंक सरवन कुमार पुत्र लखु राम खज्जी	MGNREGA	18	04-04-2022	21-05-2022	150	298	0	19263
15	नि० वॉटर टैंक रमेश चन्द पुत्र तिहडु राम अक्राना	MGNREGA	19	04-04-2022	21-05-2022	150	298	0	19263
16	नि0 लिंक रोड कुल दवी मादर से जोड़ आम मन रोड से संजय कुमार के घर की ओर	MGNREGA	162	04-04-2022	21-05-2022	270	510	570	52978
	Total=								578751

PRADHAN SECY
GRAM PANCHAYAT SADOON BARGRAN
DEV BLOCK BAROH, DISTT. KANGRA (H.P.)

12

	2023-24								
1	नि० मोक्षधाम मलमुह	MGNREGA	71	25-08-2023	29-02-2024	153	393	0	23696
2	C/o Development work Kishan Chand Land Vill. Akrana	MGNREGA	69	25-08-2023	29-02-2024		365	0	14490
3	C/o Path from Diggi toward Shakti Chand House Vill. Akrana	MGNREGA	78 , 79	25-08-2023	29-02-2024	167	332	260	31410
4	C/o Link and Danga from Tuni tree toward Rikhi Ram house Vill.Chadrun	MGNREGA	81 , 82	25-08-2023	29-02-2024	448	1100	645	91108
5	C/o Link Road and Dange from Bamboos to Sarwan Kumar Cattleshed Dharnbasti	MGNREGA	92 ,93	25-08-2023	29-02-2024	314	629	220	49291
6	C/o Water Tank Ran Singh S/o Rasila Ram Land Vill. Chadrun	MGNREGA	66	10-07-2023	29-02-2024	150	300	0	19650
7	Renovation of Pond in Dalip Singh Land	MGNREGA	76	25-08-2023	29-02-2024	75	150	0	9825
	Total					6623	10961	1695	239470

PRADHAN
GRAM PANCHAYAT SADOON BARGRAN
DEV BLOCK BAROH, DISTT. KANGRA (H.P.)

SECY.

19